Regarding alleged violation of Article 49

डॉ. निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** सभापति महोदय, धन्यवाद । सर, संविधान खतरे में है । आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं । आर्टिकल 49 ए कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, उसका रख-रखाव, उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी । इस देश में दो ऐसे एक्ट बने, वर्ष 1991 में प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप अपने आपको कंट्रोल कर लीजिए और वर्ष 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया, जिसमें कहा कि वक्फ बाई यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे, वह सम्पत्ति उसकी है । इसके आधार पर एएसआई की जितनी सम्पत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मदरसे हैं, जो संसाधन हैं, उन सभी पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनकी दुकान हो गईं । यह जो मेंटेलिटी है, आर्टिकल 49 का जो यह उल्लंघन है, यह वर्ष 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया । आप उसको सम्पत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं ।? (व्यवधान) आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप अपना पॉइंट रखिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे **:** मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14, 15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है, उसको समानता के अधिकार में बदलिए । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।